मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- एनएचएमः स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सीधी लूट का धंधा — 3
- भाजपा सरकार के तुगलकी फ़रमान ने ली मासूम बच्ची की जान — 4
- मन्त्री कृष्णपाल की जुमलेबाजी का पोस्टर बना 'जनसत्ता' — 5
- गुजरातः शाह का दावा 150 सीटों का, संकट 50 आने का — 8

वर्ष 31 | अंक 3 | फ़रीदाबाद | 16-31 दिसम्बर 2017 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2

विभागीय जांच के नाम पर लूटते हैं अधिकारी

हरियाणा पुलिस के खुर्द-बुर्द केस को सीबीआई ने खोला तो डीसीपी सहित 9 पुलिसिये आये लपेटे में

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना सदर बल्लबगढ में दिनांक 2 मई 2016 को दर्ज जिस एफ़आईआर नं. 163 को पहले ज़िला पुलिस और बाद में स्टेट क्राइम पुलिस ने खुर्द-बुर्द कर दिया था उसे सीबीआई ने खोल कर एक आईपीएस, दो एचपीएस व तीन इन्सपेक्टरों सहित 9 पुलिसियों व एक अन्य को लपेटे में ले लिया है। इनके नाम हैं, विनोद कोशिक आईपीएस, सत्या डीएसपी, आत्माराम डीएसपी, जगदीश प्रसाद इन्सपेक्टर, हरदीप हुड्डा इन्सपेक्टर, बाबू लाल इन्सपेक्टर, कुलवंत हवलदार विकास एएसआई, विकास का छोटा भाई विजय तथा पवन एकाऊंटेंट।

मामला गांव सागरपुर निवासी महावीर सिंह द्वारा दिनांक 28.4.16 को की गयी आत्महत्या का है। महावीर सिंह बतौर एएसआई गुड़गांव में तैनात था। छुट्टी पर गांव आया था जहां उसने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। दो दिन बाद जब उनका सुसाइड-नोट मिला तो उक्त मुकदमा दर्ज किया गया। अब मुकदमे में चूंकि आईपीएस, एचपीएस व इन्स्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी दोषी बनते थे तो जाहिर है, खट्टर की 'ईमानदार' सरकार की 'ईमानदार' पुलिस ने पूरी 'ईमानदारी' से अपने सभी 'ईमानदार' दोषियों को बरी करने का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया था। लेकिन महाबीर के परिजनों के प्रयासों से मामला सीबीआई के हवाले हुआ और उक्त सभी दोषी अब लपेटे में आ गये हैं।

इस देश में कोई मामला सीबीआई के हवाले यूंही आसानी से नहीं हो जाता। इसके लिये परिजनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ के चक्कर काटे। वहां से सीबीआई जांच के आदेश हुए तो दोषी पुलिसिये सुप्रीम कोर्ट तक ये फ़रियाद लेकर पहुंचे कि मामले की जांच सीबीआई से क्यों कराते हो, इसे राज्य की पुलिस द्वारा ही करने दिया जाय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें धमका कर भगा दिया। यानी हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। गत सप्ताह सीबीआई अधिकारियों ने मृतक महाबीर के गांव आकर उनके परिजनों से मुलाकात करके जांच का काम शुरू कर दिया है।

महाबीर सिंह द्वारा सुसाइड नोट में लिखी लम्बी कहानी का सारांश यह है कि वह थाना सेक्टर 29 गुड़गांव में तैनात था और इन्स्पेक्टर जगदीश प्रसाद उसका एसएचओ था। एक केस की तफ़्तीश में रिश्वत तो खा गया खुद एसएचओ और लपेटा लगा दिया महाबीर को, इसी तरह के कारनामें इन्स्पेक्टर हरदीप हुड्डा व बाबू लाल ने भी किये। शिकायत पहुंची रिश्वतखोरों को पकड़ने वाले विजिलेंस महकमे को। वहां उस वक्त तैनात इन्स्पेक्टर

शेष पेज दो पर

रिश्वतखोरी का इतिहास रहा है आईपीएस विनोद कौशिक का

इन्स्पेक्टर से डीएसपी और फ़िर आईपीएस बने विनोद कौशिक की रिश्वतखोरी का इतिहास बहुत पुराना है। इन्होंने अपने रंग तो इन्स्पेक्टरी में ही दिखाने शुरू कर दिये थे; परन्तु इनके सेवानिवृत आईएएस पिता के असर-रसूख से ये हर बार बच कर निकलते रहे।

बतौर डीएसपी फ़रीदाबाद में तैनाती के दौरान इन्होंने गौकशी के एक मुकदमे के दो असल दोषियों को निकाल कर, बदले में दो अन्य को डाल दिया था। 'मज़दूर मोर्चा' में छपी विस्तृत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये तत्कालीन सीआईडी प्रमुख पीवी राठी ने इनकी विभागीय जांच उस वक्त हरियाणा भवन में तैनात एसपी गुप्तचर महाराज सिंह को सौंपी थी। जांच के दौरान वे सभी गवाह (पुलिसकर्मी) खरे उतरे जिनका उल्लेख 'मज़दूर मोर्चा' में किया गया था। इसी दौरान महाराज सिंह बतौर एसपी नारनोल चले गये। विभागीय जांच तत्कालीन डीसीपी सेंट्रल कुलदीप सिंह सिवाच के पास आ गयी। सेवानिवृत होते-होते डीसीपी ने कौशिक को बरी कर दिया।

गुड़गांव में डीसीपी ट्रैफ़िक की तैनाती के दौरान तत्कालीन सीपी नवदीप विर्क ने भी कौशिक को रिश्वतखोरी के आरोप में निलम्बित किया था। लेकिन अपनी जुगाड़बाजी के दम पर बहाल हो कर अम्बाला ज़िले की किसी अन्य तैनाती पर चले गये थे।

बतौर एसीपी फ़रीदाबाद अपनी तैनाती के दौरान इन्होंने विभागीय जांच में किसी भी कर्मचारी को बिना रिश्वत लिये नहीं बख्शा था। विभागीय जांच के अलावा भी अपने मातहत कर्मचारियों पर बेजा दबाव बना कर इनकी लूट-पाट का धंधा काफ़ी ज़ोरों पर था।

महावीर : विभागीय भ्रष्टाचार का शिकार

विनोद कौशिक : एक बड़ा शिकारी

विभागीय जांच छोटे पुलिसकर्मियों को निचोड़ने का औजार

किसी झूठी-सच्ची शिकायत या कोई ग़लत काम करने पर किसी भी पुलिसकर्मी की विभागीय जांच कराने का नियम है। नियम का उद्देश्य तो यह माना गया था कि अपनी ड्यूटी में कोताही करने वाले कर्मचारी पर लगे आरोपों की जांच की जाय, उसे सफ़ाई का मौका दिया जाय तथा दोष सिद्ध होने पर, दोष के अनुरूप सज़ा दी जाय। परन्तु विभाग में दिन दूणा, रात चौगुणा फैलते भ्रष्टाचार ने विभागीय जांच का उद्देश्य ही पलट कर रख दिया।

अब इसका उद्देश्य जांच में फ़ंसे कर्मचारी को निचोड़ना होकर रह गया है। यदि कोई वास्तव में ही दोषी है तो उससे जांच अधिकारी मोटी 'फ़ीस' वसूल कर उसे निर्दोष बतायेगा, जैसे कि दो बेगुनाहों को हत्या के मामले में लपेटने वाले तत्कालीन एसएचओ एनआईटी अनिल कुमार को दोषी होने के बावजूद निर्दोष साबित कर दिया गया। कोई बेकसूर है तो उसे कुछ सस्ते में भी छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल मुफ़्त नहीं। हां यदि कोई निर्दोष होने के भरोसे कुछ भी देने से मना कर दे तो उसे एक बार तो दोषी घोषित कर ही दिया जाता है, बाद में अपीलों के माध्यम से वह बेशक बरी हो जाये।

आमतौर पर विभागीय जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी जाती है। छोटे कर्मचारियों की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को भी दी जाती हैं। लेकिन इससे जांच के तौर-तरीकों में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

शेष पेज दो पर

लंदन में सीवर लाइन 200 वर्षों से निर्बाध, फ़रीदाबाद की 45 साल में बैठ गयी

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्मार्ट शहर के उफ़नते सीवरों की बदौलत सड़ांध मारते गली-मुहल्लों के जवाब में सरकारी अधिकारी कहते हैं कि शहर की 80 प्रतिशत सीवर लाइनें 45 साल पुरानी होने से बेकार हो चुकी हैं। शेष बची 20 प्रतिशत लाइनें कौन सी सही ढंग से चल रही हैं, यह नवनिर्मित 'हूडा' सेक्टरों के निवासी भली-भांति जानते हैं। इसके बरक्स लंदन शहर की सीवर लाइनें 200 साल से भी अधिक पुरानी हैं। उनकी सफ़ाई के लिये न तो किसी को मरने के लिये मैनहोल में उतरना पड़ता है और न ही किसी ने उन्हें उफ़नते देखा होगा।

दरअसल सारा मामला नीयत का है। यहां सीवर लाइन डालने का मतलब होता है मोटी लूट। अधिकारी से लेकर राजनेता तक की नीयत ठेकेदार से मोटा माल मारने की रहती है। जब ठेकेदार इन सब को मोटा माल देगा तो खुद भी मोटा ही मारेगा। परिणामस्वरूप सीवर का निर्माण तय मानकों के आधार पर न होकर केवल दिखावटी एवं खानापूर्ति वाला ही होगा। न तो उसकी डिजाइनिंग सही होगी और न ही मैटिरियल की क्वालिटी। नवनिर्मित सेक्टरों में तो और भी मजे हैं लूट-कमाई खाने वालों को। इनमें सीवर लाइन का इस्तेमाल ही बरसों बाद शुरू होता है। शुरू के कुछ साल तो सीवेज (पानी) लाइनों व जमीन में ही समाता रहता है। सीवर लाइन की कमियों का पता तब चलता है जब सेक्टर की आबादी पूरी हो जाये और लाइनों पर पूरा बोझ आ जाय। तब तक बीसियों बरस बीत चुके होते हैं। इतने बक्त बाद न तो वे चोर अफ़सर कहीं मिलते हैं न ठेकेदार।

पहले यमुना एक्शन प्लान फ़िर जवाहर लाल नेहरू मिशन के नाम पर इस शहर को हजारों करोड़ रुपये सीवर व एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों) के नाम पर मिल चुके हैं। उसके बावजूद भी हालत जस की तस है; जाहिर है वह सारा पैसा भ्रष्टाचार की आग में जलकर स्वाहा हो चुका है। यही हाल अब स्मार्ट सिटी के नाम पर आने वाले हज़ारों करोड़ का होने वाला है। इस शहर को रुपयों की नहीं भ्रष्टाचार से मुक्ति की जरूरत है। जरूरत है लुटेरे व हरामखोर अफ़सरों व नेताओं से मुक्ति की।

अधिकारियों का कहना है कि शहर से 250 एमएलडी सीवेज प्रति दिन निकल रहा है और उनके तीनों एसटीपी की कुल शोधक क्षमता मात्र 155 एमएलडी है। यानी कि सरकार भी यह मानती है कि 100 एमएलडी सीवेज बिना शोधन के सीधे ही गुड़गांव व आगरा नहर तथा यमुना नदी में बहाया जा रहा है। वैसे एक हकीकत तो यह भी है कि 155 एमएलडी सीवेज का शोधन करने वाले प्लांट भी काम कम और दिखावा अधिक कर रहे हैं। इन प्लांटों की विस्तृत रिपोर्ट भी शीघ्रातिशीघ्र पाठकों को उपलब्ध कराने का प्रयास **'मज़दूर मोर्चा'** करेगा। हज़ारों करोड़ रुपया खर्चने के बावजूद सीवेज द्वारा प्रदूषण दिन ब दिन बढता ही जा रहा है।

रेरा का फ़ेरा:बिल्डर है मेरा

चंडीगढ (म.मो.) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपनी ईमानदारी की कितनी ही डींग मारे, बिल्डर लॉबी को पता है कि कहां चढावा चढा कर कैसे अपना अंधा-धुंध मुनाफ़ा कायम रखना है।

मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उन रेरा नियमों को गैरकानूनी करार दिया है जिनमें बिल्डरों के चालू प्रोजेक्ट रेरा (रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) कानून की बंदिशों से बाहर कर दिये गये थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य की फ़ड़नवीस सरकार ने केन्द्र सरकार के बनाये कानून के मुख्य प्रावधानों, जिनसे उपभोक्ता को राहत मिलती थी, को पूरी तरह उलट कर बिल्डरों की निरंकुश मनमानी को वैधता प्रदान कर दी।

विदित रहे कि रेरा कानून का प्रावधान मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था ओर मोदी सरकार ने तीन साल लटकाने के बाद इसे संसद में पास कराया। इस कानून में उपभोक्ता के लिये बड़ी राहत की बात यह थी कि बिल्डर को उपभोक्ता की रकम किसी ओर प्रोजेक्ट में लगाने के रिवाज पर अंकुश लग गया। साथ ही, यदि बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करे तो उस पर दंड और जुर्माने की व्यवस्था भी की गयी। उपभोक्ता को बिल्डर की मनमानी के खिलाफ़ उपभोक्ता अदालतों में जाने की छूट भी इस एक्ट के अन्तर्गत मिल गयी।

जाहिर है बिल्डर लॉबी चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने फ़ड़नवीस और खट्टर जैसे भाजपाई मुख्य मन्त्रियों की माफ़त एक्ट के प्रभाव को इतना बोदा बनवा दिया कि उनकी हरामखोरी पर किसी प्रकार का अंकुश न लग सके। फ़िलहाल फ़ड़नवीस सरकार के मंसूबे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने धराशायी कर दिये हैं। देखना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी क्या खट्टर सरकार की बिल्डरों से मिलीभगत पर कब प्रहार करेगी। यदि यह मामला महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले गयी तो अधिक सम्भावना यही है कि न्याय की गाज सारे भाजपाई मुख्य मन्त्रियों पर गिरेगी।

खट्टर सरकार का दिल सिर्फ़ रेरा नियमों को बिल्डर हितैषी बना कर ही नहीं भरा। लगता है कि संघी लॉबी से संचालित खट्टर पर बिल्डरों का 'एहसान' उतारने

शेष पेज दो पर